



## अविश्वसनीय दुविधा : भारतीय एफपीआई पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

12 सितम्बर, 2018

### द हिन्दू

**“भारतीय मूल के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के मुद्दे को सेबी को बेहतर ढांग से संभालना होगा।”**

भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों को नियामक परिदृश्य में अप्रत्याशित समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन शायद ही उन्हें कभी सार्वजनिक डोमेन में इसकी बात करते हुए देखा गया होगा।

अभी हाल ही में एसेट मैनेजर्स राउंडटेबल ऑफ इंडिया (विदेशी धन से संबंधित एक संघ) के एक समूह ने तत्काल हस्तक्षेप के लिए प्रधानमंत्री से खुले तौर पर अपील की।

भारत के एसेट मैनेजर्स राउंडटेबल ऑफ इंडिया ने चेतावनी दी है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी एक परिपत्र के कारण भारतीय इक्विटी बाजारों से संभवतः 75 बिलियन डॉलर का प्रवाह देश से बाहर की ओर हो सकता है।

ज्ञात हो कि सेबी ने 10 अप्रैल, 2018 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिये मानदंडों में वृद्धि से संबंधित एक परिपत्र जारी किया था और द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी FPIs से उनके लाभार्थी मालिकों की एक सूची प्रदान करने को कहा था।

भारत के वित्तीय बाजारों में कुल पोर्टफोलियो निवेश 450 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इस परिपत्र के अनुसार, निवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और भारत के विदेशी नागरिक भारत में निवेश किये जाने वाले फंड के लिये लाभार्थी मालिक नहीं हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नामिती (nominee) को भी FPI का लाभार्थी मालिक नहीं माना गया है।

लाभार्थी मालिक (BO) वह है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व का लाभ प्राप्त करता है। एफपीआई के लिए अपने ग्राहक मानदंडों को जानने के लिए जारी परिपत्र, कुछ प्रकार के निवेश पर प्रतिबंध लगाता है। सर्कुलर कस्टोडियन बैंकों पर कड़े केवाईसी मानदंडों के साथ उच्च जोखिम वाले न्यायक्षेत्रों की पहचान करने का कार्य प्रस्तुत करता है।

पिछले हफ्ते, सेबी ने एमआरआई की चेतावनी को ‘निर्थक और अत्यधिक गैर जिम्मेदार’ कहा था। फिर भी, सप्ताहांत तक सेबी द्वारा स्थापित एचआर खान समिति ने एफपीआई द्वारा उठाए गए अधिकांश चिंताओं को संबोधित करते हुए नियामक के निर्देश में किए गए परिवर्तनों की सिफारिश की।

पैनल की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनआरआई, ओसीआई कार्ड धारक और निवासी भारतीय सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी एफपीआई के निवेश का प्रबंधन कर सकते हैं और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रबंधन के तहत उन्हें एफपीआई की परिसंपत्तियों का 50% तक का अधिकार है।

इसने हर तरह के अस्पष्टता को हटा दिया है और विदेशी निवेशकों को राहत प्रदान की है, जो अप्रैल के परिपत्र में बताए गए ‘बहुमत’ शब्द के अनुसार हैं, अर्थात् लाभकारी स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय सेबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

समिति ने कहा कि परिपत्र के अनुपालन के लिए समय सीमा 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक विस्तारित की जानी चाहिए। सेबी के द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार स्वामित्व हित और नियंत्रण के मामले में FPI के BO की पहचान के लिये भौतिकता की सीमा कंपनी के मामले में 25% और साझेदारी फर्म, ट्रस्ट तथा व्यक्तियों के असंगठित संघ के मामले में 15% होगी।

‘उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार’ से आने वाले FPI के संदर्भ में मध्यस्थ BO की पहचान करने की लिये 10% की न्यूनतम भौतिकता सीमा लागू की जा सकती है और श्रेणी-III FPI के लिये लागू KYC दस्तावेज भी सुनिश्चित किये जा सकते हैं।

सेबी ने अब इन मानदंडों को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक परामर्श की घोषणा की है और इस प्रक्रिया में दलाल स्ट्रीट पर निवेश करने के लिए इस तरह के फंडों के लिए राह आसन बनाने की कोशिश की गयी है।

विदेशी निवेश मार्ग के माध्यम से भारतीय बाजार में अवैध घरेलू संपत्ति के राउंड ट्रिपिंग को रोकने के प्रयासों के साथ किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय मूल प्रबंधकों के साथ सभी एफपीआई का इलाज अवैध पैसे के संभावित कंडिशन के रूप में मूर्खतापूर्ण है।

एसईबीआई इन सभी मानदंडों को तैयार करने से पहले हितधारकों के साथ समय पर वार्तालाप कर सकता था, जैसा कि आमतौर पर करता है।

इस तरह की नीति अनिश्चितता के साथ वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करेगा।

\* \* \*



## विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में एसेट मैनेजर्स राउंडटेबल ऑफ इंडिया (विदेशी धन से संबंधित एक संघ) ने चेतावनी जारी की थी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी एक परिपत्र के कारण भारतीय इक्विटी बाजारों से संभवतः 75 बिलियन डॉलर का प्रवाह देश से बाहर की ओर हो सकता है।
- FPI इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भारतीय शेयर बाजारों के लिये प्रमुख निवेशक रहे हैं।
- वर्तमान में FPIs को एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में 10% तक निवेश करने की अनुमति है। सेबी ने अब कहा है कि यदि उनके पास एक ही BO है तो उनकी निवेश सीमा को और अधिक बढ़ाया जाएगा। इसलिए निवेशक खुश नहीं हैं।
- क्या है?
  - यह किसी देश में धनराशि की प्रविष्टि का वह तरीका है जिसमें किसी भी देश का नागरिक किसी अन्य देश के बैंक में धन जमा करता है या दूसरे देशों के स्टॉक और बॉण्ड बाजारों में खरीदारी करता है।

### सेबी द्वारा जारी परिपत्र-

- सेबी ने 10 अप्रैल, 2018 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिये KYC मानदंडों में वृद्धि से संबंधित एक परिपत्र जारी किया था और द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी FPIs से उनके लाभार्थी मालिकों की एक सूची प्रदान करने करने को कहा था।
- इस परिपत्र के अनुसार, निवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और भारत के विदेशी नागरिक भारत में निवेश किये जाने वाले फंड के लिये लाभार्थी मालिक नहीं हो सकते हैं। इसमें नामिती को भी FPI का लाभार्थी मालिक नहीं माना गया है।

- स्वामित्व हित और नियंत्रण के मामले में FPI के BO की पहचान के लिये भौतिकता की सीमा कंपनी के मामले में 25% और साझेदारी फर्म, ट्रस्ट तथा व्यक्तियों के असंगठित संघ के मामले में 15% होगी।
- NRIs और OCIs केवल इसी शर्त पर FPI लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं कि वे अपनी भूमिका को केवल निवेश सलाहकारों तक सीमित रखें और अपने पैसे का निवेश नहीं कर सकते हैं।

### एच आर खान की अध्यक्षता वाली समिति का सुझाव

- अनिवासी भारतीयों, विदेशों में भारतीय निवासी और निवासी भारतीयों को विदेशी फंडों का प्रबंधन करने की अनुमति दी जानी चाहिये जो कुछ शेयर धारण की सीमाओं के अंतर्गत भारत में निवेश करते हैं।
- FPI के प्रबंधन के तहत एक एकल NRI, OCI संपत्तियों का 25% से अधिक धारण नहीं कर सकते और विदेशी संस्थाओं के निवेश में ऐसी इकाइयों की कुल शेयर धारण क्षमता 50% से कम होनी चाहिये।
- FPI के वरिष्ठ प्रबंधकों और सूचीबद्ध संस्थाओं के लाभकारी मालिकों की पहचान के संबंध में परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है।
- सेबी को धन-शोधन रोधी कानून (PMLA) के तहत निर्धारित लाभार्थी मालिक की परिभाषा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
- उच्च जोखिम वाले अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने के लिये एक और उद्देश्य पूर्ण मानदंड विकसित करने हेतु केंद्र से परामर्श करने का भी सुझाव दिया गया है।

\*\*\*

### संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह एक मार्केट रेगुलेटर है।
  2. इसकी स्थापना बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया था।
  3. इसका एकमात्र कार्यालय मुम्बई में है।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
- (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) केवल 3
  - (d) 1 और 3

Q. Consider the following statements regarding SEBI-

1. It is a Market Regulator.
  2. It was established through the Bank of India Act.
  3. Its only one office is in Mumbai.
- Which of the above statements is/are not correct?
- (a) Only 1
  - (b) Only 2
  - (c) Only 3
  - (d) 1 and 3

नोट :

11 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(d) होगा।

### संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. बाजार का एक महत्वपूर्ण भाग है, परन्तु सेबी द्वारा जारी मानदंडों ने FPI निवेश की बजाए निकासी को बढ़ावा दिया है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

(250 शब्द)

**Foreign Portfolio Investment is an important part of Indian Capital Market but the criteria released by SEBI have encouraged disinvestment rather than investment. Elucidate with reasons.**

(250 Words)